

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
शोध केन्द्र हेतु प्रारूप

1. महाविद्यालय का नाम - :
2. महाविद्यालय का पूरा पता - :
3. स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण :
4. शोध केन्द्र हेतु चयनित पात्र/विषय/पाठ्यक्रम का नाम :
5. संबंधित विभाग में कार्यरत नियमित प्राध्यापक
/सहायक प्राध्यापक का विवरण- :
6. विभागीय पुस्तकालय की स्थिति- पुस्तकें
1. स्नातक/स्नातकोत्तर पत्रिकायें,
2. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकायें।
7. महाविद्यालय में अधोसंरचनात्मक सुविधायें- :
1. शिक्षण कक्षों की संख्या- :
2. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या- :
3. वाचनालय (रीडिंग रूम) की स्थिति- :
4. कम्प्यूटर लैब की स्थिति- :
5. प्रयोगशाला में शोध हेतु उपलब्ध उपकरण/सामग्री
8. शैक्षणिक अकादमिक सुविधायें :
- अ- पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त प्राध्या./स.प्राध्या. की संख्या
- ब- प्रकाशित शोध पुस्तकों की संख्या :
- स- प्रकाशित शोध आलेखों की संख्या :
9. शोध केन्द्र पी.एच.डी. शुल्क
1. प्रत्येक विषय अस्थाई सम्बद्धता शुल्क रु. 35,000/- निरीक्षण शुल्क रु. 5,000/-
कुल रु. 40,000/-
2. आवेदन शुल्क रु. 1000/-
3. प्रत्येक विषय की निरंतरता शुल्क प्रतिवर्ष रु. 15,000/- एवं पूर्व सत्र की निरंतरता/सम्बद्धता पत्र
10. शुल्क कुलसचिव महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगा।

विभागाध्यक्ष

प्राचार्य

- नोट- 1. सभी अभिप्रमाणित संगत दस्तावेजों/अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यादेश 2016 की कंडिका 10 में निर्धारित शोध वांछित दस्तावेज अनिवार्यतः संलग्न करें। (नियम संलग्न है)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016
एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों द्वारा पूर्ण की जाने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अवसंरचनात्मक अपेक्षाएं

10.1 महाविद्यालयों को केवल उस स्थिति में एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने हेतु पात्र माना जाएगा जब वे इन विनियमों के अनुरूप पात्र शोध पर्यवेक्षकों की उपलब्धता, अपेक्षित अवसंरचना और सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं होने के संबंध में संतुष्ट कर पाएंगे।

10.2 महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार की शोध प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिनके संबंधित विभाग में कम से कम दो पीएच0डी0 अर्हता प्राप्त शिक्षक/वैज्ञानिक/अन्य शैक्षणिक स्टाफ हों तथा इन विनियमों के अनुरूप उप-खण्ड 10.3 में यथा विनिर्दिष्ट साथ ही अपेक्षित अवसंरचना, सहायक प्रशासनिक तथा शोध संवर्धन सुविधाएं मौजूद हों, उन्हें एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने के उन्हें पात्र माना जाएगा। इसके साथ-साथ महाविद्यालयों को उन संस्थानों से अनिवार्य मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जिनके तहत वे कार्य करते हैं।

10.3 केवल निम्नानुसार उल्लिखित शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं वाले महाविद्यालय ही एम0फिल0/पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे:

10.3.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विधाओं के मामले में, संबंधित संस्थानों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नवीनतम उपकरण से सुसज्जित विशिष्ट शोध प्रयोगशालाएं जिनमें प्रति शोधार्थी हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो, साथ ही कम्प्यूटर सुविधाएं तथा अनिवार्य सॉफ्टवेयर तथा अबाधित विद्युत एवं जलापूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए;

10.3.2 नवीनतम पुस्तकों सहित चिन्हित ग्रंथालय संसाधन, भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, ई-जर्नल, सभी विधाओं हेतु विस्तारित कार्य घंटे, विभाग/ग्रंथालय में शोधार्थियों हेतु पठन, लेखन हेतु पर्याप्त स्थान, अध्ययन तथा शोध सामग्री के भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिए;

10.3.3 संस्थान/महाविद्यालय आसपास के संस्थानों/महाविद्यालयों की अपेक्षित सुविधाओं तक पहुंच बना सकते हैं अथवा उन संस्थानों/महाविद्यालयों/अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं/संगठनों तक पहुंच बना सकते हैं जिनमें अपेक्षित सुविधाएं हैं।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th May, 2016
University Grants Commission
(Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./PH.D Degrees)
Regulations, 2016

**Academic, administrative and infrastructure requirement to be fulfilled by Colleges
for getting recognition for offering M.Phil./Ph.D. programmes:**

10.1 Colleges may be considered eligible to offer M.Phil./Ph .D programmes only if they satisfy the availability of eligible Research Supervisors, required infrastructure and supporting administrative and research promotion facilities as per these Regulations.

10.2 Post-graduate Departments of Colleges, Research laboratories of Government of India/State Government with at least two Ph.D. qualified teachers/scientists/other academic staff in the Department concerned along with required infrastructure, supporting administrative and research promotion facilities as per these Regulations, stipulated under sub-clause 10.3, shall be considered eligible to offer M.Phil./Ph.D. programmes. Colleges should additionally have the necessary recognition by the Institution under which they operate to offer M.Phil/Ph.D. programme.

10.3 Colleges with adequate facilities for research as mentioned below alone shall offer M.Phil./Ph. D. programmes:

10.3.1 In case of science and technology disciplines, exclusive research laboratories with sophisticated equipment as specified by the Institution concerned with provision for adequate space per research scholar along with computer facilities and essential software, and uninterrupted power and water supply;

10.3.2 Earmarked library resources including latest books, Indian and International journals, ejournals, extended working hours for all disciplines, adequate space for research scholars in the Department/ library for reading, writing and storing study and research materials;

10.3.3 Colleges may also access the required facilities of the neighbouring Institutions/Colleges, or of those Institutions/Colleges/R&D laboratories/Organizations which have the required facilities.